मध्यप्रदेश विधान सभा

जून - अगस्त, 1991 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 5 जुलाई, 1991 (आषाढ़ 14, 1913)
समय 10.30 बजे

1- प्रश्नोत्तर.

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2- पत्रों का पटल पर रखा जाना.

श्री मूलचंद खंडेलवाल, राज्य मंत्री, खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड भोपाल की 12 वी वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 1985-86 पटल पर रखेंगे.

3- नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण.

(1) श्री मोतीलाल वोरा, सदस्य, झाबुआ जिले के पटेलावद विधान सभा क्षेत्र के विधायक की हुई हत्या की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री अनूप मिश्रा, सदस्य, शिवपुरी जिले के ग्राम मरोली में खसरे के प्रकोप से कई बच्चों की मृत्यु होने की ओर राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य, बिलासपुर जिले में जवाहर रोज़गार योजना में भ्रष्टाचार किये जाने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री प्रेम नारायण शर्मा, सदस्य, विदिशा जिले के बासोदा कस्बे में असामाजिक तत्वों द्वारा की गई गोली चालन की घटना की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री शिवराज सिंह चौहान, सदस्य, सीहोर जिले के अनेक क्षेत्रों में कृषकों को खाद-बीज न मिल पाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य, इन्दौर के राज मोहल्ला की तीन शालाएं भवनों के अभाव में बन्द होने की ओर शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) सर्वश्री आरिफ अकील, प्रकाश जैन, गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य, माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा हाई स्कूल परीक्षा के सम्पूर्ण परिणाम घोषित न किये जाने से छात्रों को हो रही परेशानी की ओर शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) सर्वश्री विश्वम्भर नाथ पाण्डेय, राजेन्द्र पामभोई, सदस्य, बस्तर में नक्सलवादियों द्वारा विधायक के परिवार जनों पर किए गए हमले की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) सर्वश्री सत्यनारायण शर्मा, ललित जैन, प्रकाश जैन, सदस्य, सीहोर में पुलिस चौकी के सामने हुई एक युवक की हत्या की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) श्री उमाशंकर मुंजारे, सदस्य, बालाघाट में जनता दल कार्यकर्ताओं के साथ मार पीट की घटित घटना की गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) श्री उमाशंकर मुंजारे, सदस्य, बालाघाट जिले के परसवाड़ा थाने के पुलिस कर्मियों द्वारा जनता दल कार्यकर्ताओं के साथ घटित मार पीट की घटना की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4- वर्ष 1991-92 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमशः)

5- अशासकीय विधि विषयक कार्य.

(1) श्री मगन लाल गोईल, सदस्य, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1991 (क्रमांक 11 सन् 1991) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

निर्धारित समय 30 मिनिट

(2) श्री जगदम्बा प्रसाद निगम, सदस्य, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 1991 (क्रमांक 3 सन् 1991) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार होने की दशा में प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

72

6- अशासकीय संकल्प.

(1) श्री रामानन्द सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

20 मिनिट "सदन का यह मत है कि बाणसागर व टमस बराज क्षेत्र की डूब में आने वाले किसानों को उनकी भूमि,मकान, पेड़ों का मुआवजा दिसम्बर,1991 तक दे दिया जाए तथा डूब क्षेत्र के किसानों के बसाहट की समुचित व्यवस्था की जाए."

(2) डा. रामजी मस्तकार, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

20 मिनिट "सदन का यह मत है कि मध्यप्रदेश शासन के अधीनस्थ समस्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों को केन्द्रीय शासन कार्मिकों की तरह चार वर्ष में एक बार चार हजार कि.मी. तक की भारत भ्रमण हेतु अवकाश यात्रा सुविधा (एल.टी.सी.) एवं तदनुसार दरों पर दैनिक यात्रा भत्ता (टी.ए.) की सुविधा प्रदत्त की जाए."

(3) श्री तेजसिंह सेंधव, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

25 मिनिट "सदन का यह मत है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण सिर्फ लोक निर्माण विभाग के माध्यम से ही हो एवं अपव्यय एवं नुकसानी की रोक हेतु सड़कें गिट्टी एवं मुरम के स्थान पर गिट्टी एवं बोल्डर बनाने के बारे में विधिक प्रावधान हो."

(4) श्रीमती नेहा सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगी :-

20 मिनिट "सदन का यह मत है कि सिवनी, बालाघाट एवं छिन्दवाड़ा जिले की यातायात समस्या के निवारण हेतु गोटे गांव से रामटेक के मध्य ब्राड गेज रेलवे लाईन के निर्माण हेतु राज्य शासन केन्द्र से अनुरोध करें."

(5) सर्वश्री जगदम्बा प्रसाद निगम/कांतिलाल भूरिया, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे.

25 मिनिट "सदन का यह मत है कि प्रदेश शासन के अधीनस्थ समस्त कार्मिकों के लिये चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति व्यवस्था के स्थान पर सामूहिक स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ की जाए."

भोपालः

दिनांक 4 जुलाई, 1991

विश्वेन्द्र मेहता,
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा